रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2099] नई दिल्ली, सोमवार, सितम्बर 28, 2015/आश्विन 6, 1937
No. 2099] NEW DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 28, 2015/ASVINA 6, 1937

पैट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 सितम्बर, 2015

का०आ० 2650(अ).—केन्द्रीय सरकार, पैट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम 1962 (1962 का 50) की धारा 6 की उप–धरा (4) के अधीन जारी भारत के राजपत्र के भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) के अंतर्गत 2 जून, 2015 को प्रकाशित, भारत सरकार के पैट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना संख्या में का०आ० 1452(अ) तारीख 29 मई, 2015 की इस अधिसूचना के हिन्दी पाठ में केंद्र सरकार निम्नलिखित संशोधन करती है–

2 जून, 2015 को प्रकाशित अधिसूचना संख्या का०आ० 1452(अ) तारीख 29 मई, 2015 में–

1. पृष्ठ सं० 1 की पंक्ति सं० 13,16,20 एवं 21 में "भारत पैट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड" के स्थान पर "कोच्चि सेलम पाइपलाइन प्राइवेट लिमिटेड" पढ़ा जाए

[फा. सं. आर–31015/17/15–ओ आर –II]

पवन कुमार, अवर सचिव

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS

NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd September, 2015

S.O. 2650(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section 4 of Section 6 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (Central Act 50 of 1962). The Central Government hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas S.O.1452(E) dated 29-05-2015 published in page 6 to 10 in part II, Section 3 sub section (ii) of the Gazette of India dated 02-06-2015 namely :-

In the notification S.O. No. 1452(E) dated 29th May, 2015 published in the gazette on 2nd June, 2015

1. At page 6 line 14,17,22 and 23 against "Bharat Petroleum Corporation Limited" read "Kochi Salem Pipeline Private Limited".

[F. No. R-31015/17/15-OR-II]

PAWAN KUMAR, Under Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 सितम्बर, 2015

का०आ० 2651(अ).—केन्द्रीय सरकार, पैट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उप–धरा (ii) के अधीन जारी भारत के राजपत्र के भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) के अंतर्गत 1 अप्रैल, 2015 को प्रकाशित, भारत सरकार के पैट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का०आ० 912(अ) तारीख 23 मार्च 2015 की इस अधिसूचना के हिन्दी पाठ में केंद्र सरकार निम्नलिखित संशोधन करती है–

1 अप्रैल 2015 को प्रकाशित अधिसूचना संख्या का०आ० 912(अ) तारीख 23 मार्च 2015 में–

1. पृष्ठ सं० 32 की पंक्ति सं० 3 में "भारत पैट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड" के स्थान पर "कोच्चि सेलम पाइपलाइन प्राइवेट लिमिटेड" पढ़ा जाए
2. पृष्ठ सं० 32 की पंक्ति सं० 12 में "श्री हम्सा, सक्षम प्राधिकारी, कोच्चि– कोयंबत्तूर– सेलम एलपीजी पाइपलाइन परियोजना, भारत पैट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड, इरुम्पनम, पी० ओ० कोच्चि केरल 682309" के स्थान पर " श्री पी० मुरलीधरन, सक्षम प्राधिकारी, कोच्चि सेलम पाइप लाइन प्राइवेट लिमिटेड, वेंगथुरुथील हाउस, सीपोर्ट एयरपोर्ट रोड , इरुम्पनम पी०ओ०, जिला ऐरनाकुलम, केरल–682309" पढ़ा जाए।

[फा. सं. आर–31015/17/15–ओ आर –II]

पवन कुमार, अवर सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd September, 2015

S.O. 2651(E).—In exercise of the powers conferred by Sub section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (Central Act 50 of 1962) the Central Government hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum & Natural Gas S.O. 912 (E) dated 23rd March, 2015 published in pages 32 to 34 in Part II, Section 3, sub-section (ii) of the Gazette of India, dated 1st April, 2015 namely:-

In the notification S.O. No. 912(E) dated 23rd March, 2015 published in the gazette on 1st April, 2015:-

1. At page 33 line 3 against " Bharat Petroleum Corporation Ltd." read "Kochi Salem Pipeline Private Ltd."
2. At page 33 line 11 against "Sri. M Hamsa, Competent Authority Kochi Coimbatore Salem Pipeline Project, Bharat Petroleum Corporation Ltd., Irumpanam Installation" read "Sri. P Muraleedharan, Competent Authority, Kochi Salem Pipeline Pvt. Limited, Vengathuruthil House, Seaport Airport road, Irumpanam PO, Ernakulam District, Kerala 682309."

[F.No . R-31015/17/15-OR-II]

PAWAN KUMAR, Under Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 सितम्बर, 2015

का०आ० 2652(अ).—केन्द्रीय सरकार, पैट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उप–धरा (ii) के अधीन जारी भारत के राजपत्र के भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) के अंतर्गत 1 अप्रैल, 2015 को प्रकाशित, भारत सरकार के पैट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का०आ० 911(अ) तारीख 23 मार्च, 2015 की इस अधिसूचना के हिन्दी पाठ में केंद्र सरकार निम्नलिखित संशोधन करती है–

1 अप्रैल, 2015 को प्रकाशित अधिसूचना संख्या का०आ० 911(अ) तारीख 23 मार्च, 2015 में–

1. पृष्ठ सं० 1 की पंक्ति सं० 3 में "भारत पैट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड" के स्थान पर "कोची सेलम पाइपलाइन प्राइवेट लिमिटेड" पढ़ा जाए
2. पृष्ठ सं० 1 की पंक्ति सं० 12 में "श्री हम्सा, सक्षम प्राधिकारी, कोच्चि– कोयंबत्तूर– सेलम एलपीजी पाइपलाइन परियोजना, भारत पैट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड, इरुम्पनम, पी० ओ० कोच्चि केरल 682309" के स्थान पर " श्री पी० मुरलीधरन, सक्षम प्राधिकारी, कोच्चि सेलम पाइप लाइन प्राइवेट लिमिटेड, वेंगथुरुथील हाउस, सीपोर्ट एयरपोर्ट रोड , इरुम्पनम पी०ओ०, जिला ऐरनाकुलम, केरल–682309" पढ़ा जाए।

[फा. सं. आर–31015/17/15–ओ आर –II]

पवन कुमार, अवर सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd September, 2015

S.O. 2652(E).—In exercise of the powers conferred by Sub section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (Central Act 50 of 1962) the Central Government hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum & Natural Gas S.O. 911(E) dated 23rd March, 2015 published in pages 1 to 32 in Part II, Section 3, sub-section (ii) of the Gazette of India, dated 1st April, 2015 namely:-

In the notification S.O. No. 911(E) dated 23rd March, 2015 published in the gazette on 1st April, 2015:-

1. At page 14 line 3 against " Bharat Petroleum Corporation Ltd." read "Kochi Salem Pipeline Private Ltd."
2. At page 15 line 6 against"Sri. M Hamsa, Competent Authority Kochi Coimbatore Salem Pipeline Project, Bharat Petroleum Corporation Ltd., Irumpanam Installation" read "Sri. P. Muraleedharan, Competent Authority, Kochi Salem Pipeline Pvt Limited , Vengathuruthil House, Seaport Airport road, Irumpanam P.O., Ernakulam District, Kerala 682309"

[F.No . R-31015/17/15-OR-II]

PAWAN KUMAR, Under Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 सितम्बर, 2015

का०आ० 2653(अ).—केन्द्रीय सरकार, पैट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उप–धरा (ii) के अधीन जारी भारत के राजपत्र के भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) के अंतर्गत 1 अप्रैल, 2015 का प्रकाशित, भारत सरकार के पैट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का०आ० 910(अ) तारीख 23 मार्च, 2015 की इस अधिसूचना के हिन्दी पाठ में केंद्र सरकार निम्नलिखित संशोधन करती है–

1 अप्रैल, 2015 को प्रकाशित अधिसूचना संख्या का०आ० 910(अ) तारीख 23 मार्च, 2015 में–

1. पृष्ठ सं० 1 की पंक्ति सं० 3 में "भारत पैट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड" के स्थान पर "कोच्चि सेलम पाइपलाइन प्राइवेट लिमिटेड" पढ़ा जाए।
2. पृष्ठ सं० 1 की पंक्ति सं० 12 में "श्री हम्सा, सक्षम प्राधिकारी, कोच्चि– कोयंबत्तूर– सेलम एलपीजी पाइपलाइन परियोजना, भारत पैट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड, इरुम्पनम, पी० ओ० कोच्चि केरल 682309" के स्थान पर " श्री पी० मुरलीधरन, सक्षम प्राधिकारी, कोच्चि सेलम पाइप लाइन प्राइवेट लिमिटेड, वेंगथुरुथील हाउस, सीपोर्ट एयरपोर्ट रोड , इरुम्पनम पी०ओ०, जिला ऐरनाकुलम, केरल–682309" पढ़ा जाए।

[फा. सं. आर–31015/17/15–ओ आर –II]

पवन कुमार, अवर सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd September, 2015

S.O. 2653(E).—In exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (Central Act 50 of 1962) the Central Government hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum & Natural Gas S.O. 910 (E) dated 23rd March, 2015 published in pages 1 to 38 in Part II, Section 3, sub-section (ii) of the Gazette of India, dated 1st April, 2015 namely:-

In the notification S.O. No. 910(E) dated 23rd March, 2015 published in the gazette on 1st April, 2015:-

1. At page 21 line 3 against "Bharat Petroleum Corporation Ltd." read "Kochi Salem Pipeline Private Ltd."
2. At page 22 line 8 against "Sri. M Hamsa, Competent Authority Kochi Coimbatore Salem Pipeline Project, Bharat Petroleum Corporation Ltd., Irumpanam Installation" read "Sri. P. Muraleedharan, Competent Authority, Kochi Salem Pipeline Pvt. Limited , Vengathuruthil House, Seaport Airport road, Irumpanam P.O., Ernakulam District, Kerala 682309"
3. At page 24,1st column of the schedule line 1 against "THEKKUMBHAGAM BLOCK NO. 30" Read as "Keezhmad Block 32"

[F.No . R-31015/17/15-OR-II]

PAWAN KUMAR, Under Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 सितम्बर, 2015

का०आ० 2654(अ).—केन्द्रीय सरकार, पैट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उप–धरा (ii) के अधीन जारी भारत के राजपत्र के भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) के अंतर्गत 1 अप्रैल, को 2015 को प्रकाशित, भारत सरकार के पैट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का०आ० 909(अ) तारीख 23 मार्च, 2015 की इस अधिसूचना के हिन्दी पाठ में केंद्र सरकार निम्नलिखित संशोधन करती है–

1 अप्रैल, 2015 को प्रकाशित अधिसूचना संख्या का०आ० 909(अ) तारीख 23 मार्च, 2015 में–

1. पृष्ठ सं० 1 की पंक्ति सं० 3 में "भारत पैट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड" के स्थान पर "कोच्चि सेलम पाइपलाइन प्राइवेट लिमिटेड" पढ़ा जाए
2. पृष्ठ सं० 1 की पंक्ति सं० 12 में "श्री हम्सा, सक्षम प्राधिकारी, कोच्चि–कोयंबत्तूर–सेलम एलपीजी पाइपलाइन परियोजना, भारत पैट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड, इरुम्पनम, पी० ओ० कोच्चि केरल 682309" के स्थान पर " श्री पी० मुरलीधरन, सक्षम प्राधिकारी, कोच्चि सेलम पाइप लाइन प्राइवेट लिमिटेड, वेंगथुरुथील हाउस, सीपोर्ट एयरपोर्ट रोड, इरुम्पनम पी०ओ०, जिला ऐरनाकुलम, केरल– 682309" पढ़ा जाए।

[फा. सं. आर–31015/17/15–ओ आर –II]

पवन कुमार, अवर सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd September, 2015

S.O. 2654(E).—In exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (Central Act 50 of 1962) the Central Government hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum & Natural Gas S.O. 909(E) dated 23rd March, 2015 published in pages 1 to 11 in Part II, Section 3, sub-section (ii) of the Gazette of India, dated 1st April, 2015 namely:-

In the notification S.O. No. 909(E) dated 23rd March, 2015 published in the gazette on 1st April, 2015:-

1. At page 6 line 3 against " Bharat Petroleum Corporation Ltd" read "Kochi Salem Pipeline Private Ltd"
2. At page 6 line 11 against "Sri. M Hamsa, Competent Authority Kochi Coimbatore Salem Pipeline Project, Bharat Petroleum Corporation Ltd., Irumpanam Installation" read "Sri. P. Muraleedharan, Competent Authority, Kochi Salem Pipeline Pvt.. Limited, Vengathuruthil House, Seaport Airport road, Irumpanam P.O., Ernakulam District, Kerala 682309"

[F. No. R-31015/17/15-OR-II]

PAWAN KUMAR, Under Secy.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.